

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 48/2013 सत्रवाद

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश।

.....अभियोजन

बनाम

- 1- बुद्धसिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह पवैया उम्र 25 वर्ष।
 - 2- पिक्कू उर्फ बन्नाम सिंह पुत्र समोखन सिंह उम्र 29 वर्ष।
 - 3- गोविंद सिंह पुत्र श्री हिमाचल सिंह पवैया उम्र 71 वर्ष।
 - 4- प्रमोद सिंह पुत्र श्री मचल सिंह पवैया उम्र 23 वर्ष।
 - 5- बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवर सिंह पवैया उम्र 56 वर्ष
 - 6- समोखन सिंह पुत्र श्री भवर सिंह पवैया उम्र 64 वर्ष।
- समस्त निवासी ग्राम छेकुरी थाना मौ जिला भिण्ड
म०प्र०

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क्र० 10/2013 इ०फौ०
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 48/2013

// निर्णय //

(आज दिनांक 19-9-2014 को घोषित किया गया)

- 1- अभियुक्त गोविंद सिंह का विचारण धारा 147, 148, 307 विकल्प 307/ 149 भा.दं. वि. एवं धारा 29 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में तथा अन्य आरोपी पिक्कू उर्फ बन्नाम, बुद्ध सिंह, बीरेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह एवं समोखन सिंह का विचारण धारा 147, 148, 307 विकल्प में 307/ 149 भा.दं.वि. के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 02.10.12 को दो बजे दिन रविन्द्र सिंह के खेत के पास छेकुरी, देवीपुर

रोड मौ में सहआरोपी जो कि संख्या में पांच या पांच से अधिक थे के साथ विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य जमीन पर कब्जा करना एवं आहत रामू एवं अन्य पर बल प्रयोग करने का था, बल प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि घातक आयुध कट्टा, बंदूक से सुज्जित होकर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी रामू एवं अन्य आहत रविन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र, जितेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र व धर्मेन्द्र पर इस आशय या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से गोली चलाई कि यदि उक्त कृत्य से उक्त आहत रामू एवं अन्य की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस प्रकार से गोली से आहत रामू को चोट पहुँचाकर उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत रामू व अन्य फरियादीगण की मृत्यु कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान या ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से गोली चलाई कि यदि रामू और अन्य की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते और इस दौरान आहत रामू को बंदूक से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की। आरोपी गोविंद सिंह पर यह भी आरोप है कि अपनी लाइसेंसी बंदूक अन्य सहआरोपी बुद्ध सिंह को प्रदत्त की जो कि अपने कब्जे में रखने का हकदार नहीं था।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.10.12 को सूचनाकर्ता रविन्द्र सिंह के चाचा राजेन्द्र सिंह तथा उनका लडका लोकेन्द्र सिंह टैक्टर लेकर खेत जौतने गये थे। दोपहर करीब एक बजे उनका फोन आया कि बुद्धसिंह आदि की भैंसे खेत में चर रही थी जिसे उन्होंने भगा दिया इस पर गोविंद सिंह, बुद्ध सिंह, समोखन, पिकू, प्रमोद एवं बीरेन्द्र झगडा कर रहे हैं, उन्हें आकर समझा दो। तत्पश्चात् सूचना कर्ता रविन्द्र सिंह व उसका भतीजा रविन्द्र उर्फ रवि, रामू, धर्मेन्द्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बुद्धसिंह 12 बोर का सिंगल वेरिल बंदूक, पिकू 12 बोर का डबल वेरिल बंदूक, समोखन अधिया 315 बोर का, गोविंद सिंह, प्रमोद और बीरेन्द्र कट्टा लिए हुए थे और सभी लोग बलवा करने उतारू थे तथा उपद्रव कर रहे थे। उनसे कहा गया कि झगडा क्यों कर रहे हो, तो आरोपी बुद्धसिंह रामू को बोला कि साले तुम बहुत बोल रहे हो तुझे जान से मार डालूँगा, उसे जान से मारने की नियत अपने हाथ में रखे हुए 12 बोर की दुनाली बंदूक से रामू पर फायर कर दिया जो कि रामू के दाहिनी आँख के पास, कमर की दाहिनी तरफ एवं कमर के नीचे चोट आई और रामू वहीं गिर पडा, अन्य आरोपी पिकू, समोखन, गोविंद, प्रमोद और बीरेन्द्र ने भी अपने-अपने हथियारों से फायर किए। तब इन लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। रामू के गिरने के बाद ये लोग वहाँ

से भाग गए।

3— उक्त घटना की सूचना मोबाइल से थाना मौ पर दी गई जिस पर से पुलिस थाना मौ घटना स्थल पर आई जहाँ कि फरियादी रविन्द्र सिंह के द्वारा देहाती नालसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 10 लेखबद्ध कराई गई जिस पर थाना मौ में अपराध क्रमांक 208/ 12 धारा 147, 148, 149, 307 भा.दं.वि. का कायम किया गया। आहतों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आहत रामू सिंह के कपड़ों की जप्ती की गई। आरोपी बुद्ध सिंह से एक 12 बोर की इकनाली बंदूक जो कि गोविंद सिंह की लाइसेंसी बंदूक है, उक्त बंदूक और उसका लाइसेंस जप्त किया गया जो कि उक्त बंदूक लाइसेंसधारी गोविंद सिंह के द्वारा आरोपी बुद्ध सिंह को दी गई थी तथा एक 12 बोर के राउण्ड का खोखा भी बुद्ध भी बुद्ध सिंह से जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त थाना मेंहगौव में मण्डी चुनाव में जमा होने से आरोपी पिक्कू उर्फ बन्नाम सिंह से एक 12 बोर के दुनाली बंदूक और उसका लाइसेंस जप्त किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया जो कि आरोपी समोखन सिंह के फरार होने से उसके खिलाफ बाद में पूरक अभियोगपत्र पेश किया गया। उक्त प्रकरण उपार्पित होकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

4— अभियुक्त गोविंद सिंह के विरुद्ध धारा 147, 148, 307 विकल्प में 307/149 भा.द.स. तथा धारा 29 आयुध अधिनियम का आरोप तथा शेष आरोपीगण पर धारा 147, 148, 307 विकल्प में 307/149 भा.द.स. आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया, उनकी प्ली अंकित की गई।

5— आरोपीगण का धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत आरोपी परीक्षण किया गया आरोपी परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है और गाँव की रंजिश के कारण साक्षीगण के झूठ बोलने का अभिकथन किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

6— प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1— क्या दिनांक 02.10.12 को छेकुरी-देवीपुर रोड मौ में फरियादी रविन्द्र सिंह के खेत के पास आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया जिसका सामान्य उद्देश्य जमीन पर कब्जा करने तथा रामू व अन्य पर बल व हिंसा का प्रयोग करने का था?

2— क्या आरोपीगण द्वारा उपरोक्त दिनांक एवं समय स्थान पर घातक आयुध

- अधिया, बंदूक और कट्टा से सुज्जित होकर बलवा कारित किया?
- 3- क्या उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत रामू व अन्य फरियादी रविन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, रविन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह, जितेन्द्र, लोकेन्द्र एवं धर्मेन्द्र को इस आशय एवं ज्ञान के साथ व ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से गोली चलाई कि यदि उक्त कृत्य से आहत रामू व अन्य की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते?
 - 4- क्या आरोपी/ आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय स्थान पर आहत रामू को गोली से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
 - 5- क्या उपरोक्त दिनांक व समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा आहत रामू व अन्य की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से गोली चलाई गई कि यदि आहत रामू व अन्य की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान आहत रामू को बंदूक से गोली मारकर उपहति कारित की?
 - 6- क्या आरोपी गोविंद सिंह के द्वारा अपनी लाइसेंसी अन्य सहआरोपी बुद्ध सिंह को प्रदत्त की जो कि उसे अपने कब्जा में रखने का हकदार नहीं था?

:- निष्कर्ष के आधार:-:

विन्दु क्रमांक-1, 2, 3, 4, 5

- 7- डॉ० आर.विमलेश अ०सा० 6 के अनुसार दिनांक 02.10.12 को सी.एच.सी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहत रामू का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसे निम्न चोट पाई गई- चोट न० 1- आग्नेय शस्त्र का घाँव .3 गुणा .3 से.मी. दाँये जाँघ के मध्य बाहर की ओर, चोट न० 2- आग्नेय शस्त्र का घाँव .3 गुणा .3 से.मी. बाईं भुजा के बाहर की ओर उपरी हिस्से में। चोट न० 3- आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. दाहिने पेर के उपरी हिस्से में भीतर की ओर थी एवं चोट न० 4- आग्नेय शस्त्र का घाँव दाँए पेर की कूल्हे वाली हड्डी में बाहर की ओर .2 गुणा .2 आकार का था। चोट न० 5- आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. दाँए प्यूविक हड्डी के भीतर की ओर एवं चोट न० 6- आग्नेय शस्त्र का घाँव .5 गुणा .5 से.मी. दाँए जाँघ के निचले हिस्से में बहार की ओर एवं चोट न० 7- आग्नेय शस्त्र का घाँव .3 गुणा .2 से.मी. दाँए पेर के उपरी हिस्से में बाहर की ओर था एवं चोट न० 8- आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. दाहिने पेर के पिछले भाग पर नीचे की ओर था एवं चोट न० 9- आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. दाहिने स्कोटम पर एवं चोट

न0 10— आग्नेय शस्त्र का घाँव .1 गुणा .1 से.मी. दाँए पेरे के स्कोटम पर एवं चोट न0 11— आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. चेहरे के दाँयी ओर उपरी हिस्से में एवं चोट न0 12— आग्नेय शस्त्र का घाँव .2 गुणा .2 से.मी. दाँयी ओर चेहरे पर पाई थी। उक्त सभी चोटें अग्नेय शस्त्र के द्वारा पहुँचाई गई प्रतीत होती थी जो कि परीक्षण के 12 घण्टे के अंदर की थी। चोटों की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

8— इस प्रकार डॉक्टर आर0विमलेश अ0सा0 6 के कथन से स्पष्ट है कि आहत रामू के शरीर पर उपरोक्त बताई गई अग्नेय शस्त्र की चोटें उपस्थित थीं। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आरोपीगण ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए बलवा कारित किया? क्या बलवा कारित करते समय आरोपीगण घातक आयुध से सुज्जित थे? क्या आरोपी/ आरोपीगण के द्वारा रामू व अन्य फरियादियों की हत्या का प्रयत्न किया गया? क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त रामू एवं अन्य फरियादियों की हत्या करने का प्रयत्न किया?

9— घटना के रिपोर्ट कर्त्ता रविन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह अ0सा0 8 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसे रामू ने बताया था कि उसे गोली लगी है। गोली किस के द्वारा मारी गई है इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। पुलिस के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट प्र.पी. 10 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 11 पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उक्त साक्षी जो कि घटना का सूचना कर्त्ता भी है को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

10— घटना का आहत रामू अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि पिछली साल 2 अक्टूबर की बात है वह अपना खेत देखने के लिए हार में गया था जहाँ पर कुँए की बगल से बाजरे के खेत के बीच से निकला तो उसे वहाँ पर सिकी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी जो उसके दाहिनी आँख के नीचे, दाँए हाथ की कोहनी के उपर छर्रे लगे थे। गोली लगने पर वह चिल्लाया तो पास में घनश्याम भैंस चरा रहा था वह उसके पास आ गया। वह बेहोश हो गया था उसे ग्वालियर अस्पताल में होश आया था। 5-6 दिन ग्वालियर जे.ए.एच. में भर्ती रहा था। ग्वालियर अस्पताल में तहसीलदार ने उसका कथन लिया था जो प्र.पी. 1 है। उक्त आहत साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

घटना के अन्य साक्षी लोकेन्द्र सिंह अ0सा0 2, जितेन्द्र अ0सा0 3, धर्मेन्द्र अ0सा0 4, रविन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह अ0सा0 5 जो कि घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होना बताए गए हैं और जो घटना के पीड़ित भी हैं। उक्त साक्षीगण के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में

अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है।

11. बी.एस.वैश अ0सा0 10 जो कि घटना के समय थाना मौ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 02.10.12 को ग्राम छेकुरी में सूचनाकर्त्ता रविन्द्र सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 0/ 12 धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड विधान का लेखबद्ध करना जो कि प्र.पी. 10 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने आहत रविन्द्र के कथन प्र.पी. 7 लेखबद्ध करना एवं घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 11 तैयार करना बताया है। दिनांक 03.10.12 को ग्वालियर जे.ए.एच. हॉस्पिटल में आहत रामू के पेश करने पर एक शर्ट और एक नीले रंग का लोवर जो कि उसको घटना के समय पहने हुए था जिसमें जगह-जगह छेद के निशान बने हुए थे एवं मानव रक्त लगा हुआ था जप्त कर शील्ड किया था और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 15 बनाया था जिसमें ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी पिकू, बीरेन्द्र, प्रमोद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 16, 17, 18 तैयार करना एवं साक्षी रविन्द्र, रामसेवक व जनक सिंह के कथन लेखबद्ध करना बताया गया है। देहाती नालसी के आधार पर प्र0आर0 निहाल सिंह के द्वारा एफ.आई.आर प्र.पी. 19 लेखबद्ध करना जिस पर ए से ए भाग पर प्र0आर0 निहाल सिंह के हस्ताक्षर हैं। आरोपी बुद्धसिंह से 12 बोर की दुनाली बंदूक प्र.पी. 9 के अनुसार एस. आई बी.एस.गोयल के द्वारा जो कि आरोपी गोविंद के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मैमोरेडम कथन के आधार पर जप्त किया जाना जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 22, 23 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 पर बी.एस. गोयल के हस्ताक्षर हैं। जिनके हस्ताक्षर को उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहिचानना स्वीकार किया है। आरोपी पिकू उर्फ बन्नाम के मैमोरेडम कथन के आधार पर एक 12 बोर की दुनाली बंदूक मय लाइसेंस के दयाशंकर यादव ए.एस.आई के द्वारा जप्त करना जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 24 और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 25 पर दयाशंकर के हस्ताक्षर होना बताया है। जिसके हस्ताक्षर को उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहिचानना स्वीकार किया है।

12. घटना के आहत रामू सिंह अ0सा0 1 के कथन में कहीं भी वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा किस प्रकार की कोई घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं होता है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु उस दौरान भी साक्षी के कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन व पुष्टि करने वाला कोई भी कथन नहीं आया है।

13. इसी प्रकार घटना के अन्य साक्षी जिसमें घटना के रिपोर्ट कर्त्ता रविन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह अ0सा0 8, लोकेन्द्र अ0सा0 2, जितेन्द्र अ0सा0 3, धर्मेन्द्र अ0सा0 4 एवं रविन्द्र सिंह

पुत्र देवेन्द्र सिंह अ0सा0 5 के कथनों में भी अभियोजन प्रकरण का जिसमें कि घटना के समय आरोपी के घटना स्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का किसी प्रकार से कोई समर्थन अथवा सम्पुष्टि होना नहीं पाई जाती है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं आया है।

14. जहाँ तक प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य जो कि अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रकरण में आहत रामू सिंह का मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 1 संलग्न है जिसमें रामू सिंह के द्वारा अपने मृत्युकालीन कथन में आरोपी बुद्ध सिंह के द्वारा बंदूक की गोली चलाकर उसके पेर व कमर में मारने व अन्य आरोपी बीरेन्द्र, समोखन, पिकू के द्वारा भी गोली चलाने के संबंध में बताया है। उक्त मृत्युकालीन कथन के आधार आरोपीगण के घटना में संलग्न होने व उनके द्वारा घटना कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है।

15. मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 1 का जहाँ तक कथन है वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट है कि रामू जिसका कि मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करना बताया जा रहा है वह जीवित है अथवा धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन मृत्यु के कारण से संबंधित होता है। इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब कि कथन देने वाले की मृत्यु हो जाए यदि कथन देने वाला जीवित है तो उस दशा में मृत्युकालीन कथन के आधार पर उसे साक्ष्य मानते हुए अभियोजन प्रकरण के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और न ही उसके आधार पर अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित माना जा सकता है। ऐसी दशा में मात्र प्र.पी. 1 के मरणाशन कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिता एवं आरोपी गण या किसी आरोपी के द्वारा अपराध कारित किरने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

16. इस प्रकार घटना के आहत रामू सिंह अ0सा0 1 तथा अन्य पीडित जिनमें रिपोर्ट कर्ता रविन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र, जितेन्द्र, लोकेन्द्र और धर्मेन्द्र को जान से मारने की नियत से आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाना और उसके सदस्य रहते हुए घटना कारित की जाना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की पुष्टी होनी नहीं पाई जाती है।

17. जहाँ तक प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अन्य साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन के द्वारा आहत रामू के एक शर्ट एवं नीले रंग का लोवर जो कि घटना के समय पहने हुए था जिसमें कि जगह जगह छेद के निशान बन गए थे और मानव रक्त लग गया था उसकी जप्ती की जाना और उसका परीक्षण

कराया जाना बताया गया है। इस संबंध में विवेचना अधिकारी डी.एस.बैश अ0सा0 10 ने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 30.10.12 को ग्वालियर जे.ए.एच पहुँचकर आहत रामू के पशे करने पर एक शर्ट और नीले रंग का लोवर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 15 तैयार करना एवं उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त जप्ती के संबंध में अभियोजन ने जप्ती के किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये हैं। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि शर्ट और लोवर की जप्ती हुई जिसमें कि मानव रक्त लगा हुआ है तो भी प्रकरण में स्वयं आहत रामू सिंह द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी दी थी। ऐसी दशा में यदि शर्ट एवं लोवर में छेद के निशान व खून लगा भी है तो वह स्वभाविक है किन्तु उसके आधार पर जबकि आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी ही प्रमाणित नहीं है आरोपीगण ने या किसी आरोपी के घटना में संलग्न होने बावत् या उनके द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में प्रकरण की प्रमाणिकता होनी नहीं पायी जाती।

18. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यद्यपि आहत रामू को चिकित्सक के द्वारा चोटें पाई जाना बताई है, किन्तु प्रकरण में समग्र अभियोजन साक्ष्य के उपरोक्त यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण जो कि संख्या में 5 या 5 से अधिक थे के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण उक्त जमाव के समय घातक आयुध से सुसज्जित थे। आरोपीगण के द्वारा आहत रामू की हत्या करने के प्रयत्न के दौरान उसे कोई उपहति कारित अथवा आरोपीगण के द्वारा अन्य पीड़ितों की हत्या करने का कोई प्रयत्न किया गया हो।

बिंदु क्रमांक 06 :-

19. आरोपी गोविंद सिंह पर यह आरोप है कि दिनांक 02.10.12 को उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक सहआरोपी बुद्ध सिंह को प्रदत्त की थी जो कि उसे कब्जे में रखने का हकदार नहीं था। जिसके आधार पर आरोपी गोविंद सिंह के विरुद्ध धारा 29 आयुध अधिनियम का आरोप लगाया गया ।

20. सर्वप्रथम प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसका कि पूर्व में विवेचन किया गया है के आधार पर घटना दिनांक को घटना स्थल पर आरोपीगण या किसी आरोपी की मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। जहाँ तक आरोपी गोविंद सिंह की लाइसेंसी बंदूक की जप्ती का प्रश्न है इस संबंध में साक्षी डी.एस. वेश अ0सा0 10 के द्वारा यह बताया गया है कि एस.आई बी.एस.गोयल के द्वारा बुद्धसिंह एवं गोविंद सिंह से पूछताछ कर उनके मेमोरेडम कथन लिए गए हैं जो प्र.पी. 22 एवं 23 हैं तथा उसके आधार पर बुद्ध सिंह से एक 12 बोर की दुनाली बंदूक मय लाइसेंस के जप्त कर जप्ती

पंचनामा प्र.पी.9 तैयार किया गया और एक खोखा 12 बोर का भी जप्त किया गया है जो कि प्र.पी. 14 है। उक्त दस्तावेजों पर बी.एस.गोयल के हस्ताक्षर को उनके द्वारा पहिचाना गया है।

21. आरोपी बुद्ध सिंह से बंदूक जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में जप्ती के साक्षी आरक्षक मनोज कुमार अ0सा0 7 का कथन अभियोजन के द्वारा कराया गया है जिसमें कि 12 बोर के दुनाली बंदूक और लाइसेंस जप्त हुआ जो कि उक्त बंदूक गोविंद सिंह के नाम से थी जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार किया जाना बताया है। उक्त साक्षी के पतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध सिंह से उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। बंदूक उसके अधिकारियों के पास थी और अधिकारियों उसकी लिखापट्टी कर प्र.पी. 9 पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। ऐसी दशा में उक्त साक्षी जो कि स्वयं पुलिस आरक्षक के कथन के आधार पर आरोपी बुद्धसिंह से कोई बंदूक 12 बोर की जो कि गोविंद सिंह की लाइसेंसी बंदूक थी की जप्ती का तथ्य पुष्ट एवं प्रामाणित नहीं होता है। जप्ती के अन्य साक्षियों का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में बास्तव में बताए हुए स्थान से आरोपी बुद्ध सिंह के आधिपत्य से 12 की बंदूक जो कि गोविंद सिंह की लाइसेंसी बंदूक थी की जप्ती का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में आरोपी गोविंद सिंह को लगाया गया आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

22. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के उपरांत प्रकरण में आई हुई समस्त अभियोजन साक्ष्य पर विचार किए जाने के उपरांत अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी गोविंद सिंह को धारा 147, 148, 307 विकल्प में धारा 307/ 149 भा.द.वि. एवं धारा 29 आयुद्ध अधिनियम तथा अन्य आरोपी पिकू उर्फ बन्नाम, बुद्ध सिंह, बीरेन्द्र सिंह,, प्रमोद सिंह एवं समोखन सिंह को धारा 147, 148, 307 विकल्प में धारा 307/ 149 भा.द.वि. के आरोपी से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं ।

23. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की एकनाली बंदूक न0 5270 जो कि गोविंद सिंह के नाम की है तथा उक्त बंदूक का लाइसेंस जो दिनांक 31.12.14 तक वैध होना बताया गया है उक्त बंदूक अपील अवधि पश्चात् उसके स्वामी गोविंद सिंह को वापस की जाए। प्रकरण में अन्य जप्तशुदा एक 12 बोर दुनाली बंदूक जो कि पिकू उर्फ बन्नामसिंह पुत्र समोखन सिंह की लाइसेंसी बंदूक होना बताया गया है। उसके द्वारा उक्त बंदूक के संबंध में वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश होने पर उक्त बंदूक उसे वापस की जाए। चूंकि उक्त बंदूक जो कि पुलिस थाना मेहगाँव में मण्डी चुनाव के कारण जमा थी वापस किए जाने पर इस आशय की सूचना संबंधित थाना मेहगाँव को दी जाए। प्रकरण में शेष जप्तशुदा वस्तुओं में एक 12 बोर का

खाली खोखा, एक शर्ट, एक लोवर मूल्यहीन होने से अपील होने के पश्चात् नष्ट की जावे।
अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

24. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। धारा **428 द.प्र.सं.** के अनुसार आरोपीगण के जांच एवं विचारण के दौरान निरोध में बितायी गयी अवधि के संबंध में पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड